शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/नियु./2012/975 भोपाल,दिनांक 27-1-12

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिला (म.प्र.)

विषयः— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक की पदस्थापना के संबंध में।

संदर्भः—1. राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक/राशिके/नियु./2011/245/2भोपाल दिनांक 6.7.2011

2. मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ.—45/2010 /20—1 भोपाल दिनांक 26.12.2011

संदर्भित पत्र क्रमांक—1 द्वारा समस्त जिलों को विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक की पदस्थपना किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। इन निर्देशों में अध्यापक संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना उनकी पदस्थापना वाले निकाय अन्तर्गत ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

चूँकि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक—2 अनुसार अध्यापक सवर्ग के लिये प्रतिनियुक्ति की शर्ते निर्धारित की गई हैं। अतः स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में जिलों में अभी भी रिक्त विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पदों पर अध्यापक संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की कार्रवाई संदर्भित पत्र क्रमांक—2 अनुसार की जा सकेगी।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

Letter 2012

पृष्ठा.कमांक / राशिके / नियु. / 2012 / 976 भोपाल,दिनांक 27-1-12

प्रतिलिपि :–

1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री,म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7 जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र,समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

(190)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 1-45/2010/20-1 भोपाल, दिनांक 26-12-2011

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
   मध्यप्रदेश.

विषय :- अध्यापक संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तों के संबंध में।

---0---

स्थानीय निकाय यथा पंचायत/नगरीय निकाय अंतर्गत कार्यरत् अध्यापक संवर्ग के लिए पूर्व में जारी प्रतिनियुक्ति संबंधी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए इस आदेश के जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के नियम-8 उपनियम (ड.) में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार अध्यापक संवर्ग के प्रतिनियुक्ति के लिए निम्नलिखित अनुसार शर्तें निर्धारित करती है :-

1. स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत् अध्यापक संवर्ग के लिए जिलास्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पदों, राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत पदों के लिए तथा शिक्षा विभाग अंतर्गत अन्य पदो के लिए अध्यापक संवर्ग की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग की आवश्यकतानुसार ली जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों या निकायों में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध रहेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं अध्यापकों को लिया जायेगा जो संबंधित पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव को धारण करेंगे।
3. यह प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए होगी जिसे कार्य व्यवहार की गुणवत्ता के संपादन के आधार पर आगामी 2 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उक्त कालावधि के पूर्ण होने के उपरांत प्रतिनियुक्ति किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।
4. प्रतिनियुक्ति की अवधि कंडिका 3 में उल्लेखित अनुसार अथवा पदोन्नति/स्थानांतरण होने तक प्रभावशील मानी जायेगी।

27 DEC 2011

5. प्रतिनियुक्ति पर जिस निकाय के अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता होगी, उसकी प्रतिनियुक्ति के लिए संबंधित निकाय के नियुक्तिकर्ता की पूर्व अनुमति अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. संबंधित निकाय से प्रतिनियुक्ति पर अनापत्ति प्रमाण प्राप्त होने पर सेवाएं लेने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में जहां नियुक्तिकर्ता कलेक्टर है वहां उनके द्वारा जारी किया जायेगा।

7. प्रतिनियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर संबंधित निकाय द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए संबंधित कर्मचारी को नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करना होगा।

8. अध्यापक संवर्ग को प्रतिनियुक्ति अवधि में मूल निकाय में उसे प्राप्त होने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों के बराबर ही वेतन/अन्य भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

9. चयनित अध्यापक संवर्ग की वेतन व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर लेने वाली शिक्षा विभाग की संस्था द्वारा निर्देशित रिक्त पदो के विरूद्ध की जायेगी।

10. प्रतिनियुक्ति पर अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता उनके मूल निकाय में यथावत रहेगी तथा पदोन्नति एवं क्रमोन्नति की कार्यवाही मूल निकाय द्वारा निकाय में संबंधित अध्यापक की वरिष्ठता के आधार पर मूल निकाय द्वारा की जायेगी।

11. प्रतिनियुक्ति के कारण रिक्त हुए अध्यापक संवर्ग के पदों पर संबंधित निकाय द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

12. अध्यापक संवर्ग का प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश संस्था में नियुक्ति के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाये। उदाहरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान में विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर द्वारा की जायेगी। जिला/विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापक संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापक /अध्यापक/सहायक अध्यापक का चयन शासन आदेश दिनांक 17.07.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अन्य पदो पर प्रतिनियुक्ति आदेश संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

(192)

पृष्ठां. क्रमांक / एफ 1-45 / 2010 / 20-1 भोपाल, दिनांक 26-12-11

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण,संचालनालय म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग